

कर राजस्व

(₹ करोड़)

मुख्य शीर्ष		वास्तविक 2016-2017	बजट 2017-2018	संशोधित 2017-2018	बजट 2018-2019	
कर राजस्व						
1. निगम कर						
1.01.	संग्रहण	0020	404746.05	475502.85	491923.85	527750.39
1.02.	अधिभार	0020	20109.75	47550.29	55401.13	63711.15
1.03.	शिक्षा उपकर	0020	13998.55	15691.59	16419.75	29538.46
1.04.	शास्तियां	0020	199.98
1.05.	व्याज वसूली	0020	2281.51
1.06.	घरेलू कम्पनियों के वितरित लाभों पर कर	0020	41417.86
1.07.	यूनिटधारकों को वितरित आय पर कर	0020	1993.00
1.08.	विविध प्राप्तियां	0020	177.16
जोड़-निगम कर			484923.86	538744.73	563744.73	621000.00
2. आय पर कर						
2.01.	संग्रहण	0021	324421.34	412477.27	412477.27	461182.33
2.02.	अधिभार	0021	2298.97	9347.50	9347.50	36894.59
2.03.	शिक्षा उपकर	0021	10265.63	9662.60	9662.60	19923.08
2.04.	शास्तियां	0021	310.74
2.05.	व्याज वसूली	0021	3087.37
2.06.	काले धन के तहत कर	0021	10.05
2.07.	विविध प्राप्तियां	0021	110.40
2.08.	बैंकिंग लेन-देन कर	0036
2.09.	प्रतिभूति लेन-देन कर	0034	8998.12	7767.90	7767.90	11000.00
2.10.	होटल प्राप्ति कर	0023	0.48
2.11.	व्याज कर	0024	4.98
2.12.	अनुपंगी लाभ कर	0026	-66.89
2.13.	आय तथा व्यय पर अन्य कर	0028
2.13.01.	व्यय कर	0028	3284.04
2.13.02.	आय घोषणा योजना, 2016	0028	8192.13
2.13.03.	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 हेतु कराधान और निवेश व्यवस्था	0028	1905.51
2.13.04.	अन्य प्राप्तियां	0028	1070.87
जोड़-आय तथा व्यय पर अन्य कर			14452.55
2.14.	भू राजस्व	0029
2.15.	स्टॉप एवं पंजीकरण	0030
2.16.	कृषि कल्याण उपकर	0028	710.64	2000.00	2000.00	...
जोड़-आय पर कर			364604.38	441255.27	441255.27	529000.00
3. संपदा कर						
3.01.	संपदा शुल्क	0031	0.67
3.02.	धन पर कर	0032	184.47
3.03.	उपहार कर	0033
जोड़-संपदा कर			185.14
4. सीमा शुल्क						
4.01.	आयात शुल्क					
4.01.01.	बुनियादी शुल्क	0037	64583.84	72150.00	80750.00	96300.00
4.01.02.	सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी)	0037	111982.61	122000.00	32729.00	...
4.01.03.	विशेष सीवी शुल्क	0037	39944.04	35250.00	8500.00	...
4.01.04.	मोटर स्प्रिट पर सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क	0037

(₹ करोड़)

मुख्य शीर्ष		वास्तविक 2016-2017	बजट 2017-2018	संशोधित 2017-2018	बजट 2018-2019
4.01.05.	हाई स्पीड डीजल तेल पर सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क	0037	...	8.00	...
4.01.06.	मोटर स्पिरिट पर सीमा शुल्क पर विशेष अतिरिक्त शुल्क	0037
4.01.07.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क	0037	23.80	660.00	750.00
4.01.08.	शिक्षा उपकर	0037	3922.02	2000.00	...
4.01.09.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0037	1879.59	1000.00	...
4.01.10.	सामाजिक कल्याण अधिभार	0037	...	1300.00	8000.00
<i>जोड़-आयात शुल्क</i>		<i>222335.90</i>	<i>238200.00</i>	<i>126947.00</i>	<i>105050.00</i>
4.02.	निर्यात शुल्क	0037	-835.50	245.00	288.00
4.03.	निर्यात पर उपकर	0037	177.21	100.00	112.00
4.04.	अन्य प्राप्तियां	0037	1763.36	7950.00	7050.00
4.05.	सार्वजनिक नीलामी द्वारा सोने की बिक्री	0037	38.12
4.06.	जब्त माल की बिक्री प्राप्तियां	0037	679.57
4.07.	एंटी डंपिंग शुल्क	0037	1129.02
4.08.	सुरक्षा शुल्क	0037	82.66
<i>जोड़-सीमा शुल्क</i>		<i>225370.34</i>	<i>245000.00</i>	<i>135242.00</i>	<i>112500.00</i>
5. केंद्रीय उत्पाद शुल्क					
5.01.	बुनियादी और विशेष उत्पाद शुल्क मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल तेल पर उपकर को छोड़कर	0038	231106.98	126450.00	94000.00
5.02.	मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	18827.83	22000.00	...
5.03.	हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	53571.70	59250.00	...
5.04.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	0038	6426.20	3000.00	1750.00
5.05.	मोटर स्पिरिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	18780.13	32000.00	36000.00
5.06.	पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों पर अधिभार	0038	3347.75	1000.00	...
5.07.	राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर				
5.07.01.	शिक्षा उपकर	0038	45.41	12.00	...
5.07.02.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0038	21.31	6.00	...
5.07.03.	कच्चे तेल पर उपकर	0038	12618.31	14000.00	14850.00
5.07.04.	बीड़ी पर उपकर	0038	136.21	33.00	...
5.07.05.	चीनी पर उपकर	0038	2881.61	779.00	...
5.07.06.	ऑटोमोबाइल पर उपकर	0038	408.55	96.00	...
5.07.07.	अन्य	0038	1523.78	60.00	...
5.07.08.	स्वच्छ पर्यावरण उपकर (पूर्व में स्वच्छ ऊर्जा उपकर)	0038	26117.25	12100.00	...
5.07.09.	अवसंरचना उपकर	0038	3917.65	905.00	...
5.07.10.	मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल तेल पर उत्पाद शुल्क (सड़क तथा अवसंरचना उपकर)	0038	...	4350.00	113000.00
<i>जोड़-राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर</i>		<i>47670.08</i>	<i>51550.00</i>	<i>32341.00</i>	<i>127850.00</i>
5.08.	अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर				
5.08.01.	कोयला और कोक	0038	640.04	400.00	...
5.08.02.	नमक	0038	0.91
5.08.03.	रबड़	0038	102.30	92.00	...
5.08.04.	अभ्रक	0038
5.08.05.	लौह अयस्क, मैगनीज और क्रोम अयस्क	0038	7.52
5.08.06.	चूना पत्थर और डोलोमाइट	0038	10.82
5.08.07.	सिने कर्मी	0038	0.86
5.08.08.	प्रदूषण (वायु और जल) निवारण और नियंत्रण	0045	215.84	146.27	...

		(₹ करोड़)			
मुख्य शीर्ष		वास्तविक 2016-2017	बजट 2017-2018	संशोधित 2017-2018	बजट 2018-2019
5.08.08.01.	व्यय घटाकर निवल प्राप्तियां <i>निवल</i>	0045	-145.64 <i>70.20</i>	-250.00 ...	-146.27 ...
5.08.09.	अनुसंधान और विकास	0045	1187.24	980.00	450.00
5.08.10.	बीडी निधि	0038	...	190.00	12.00
5.08.11.	अन्य खातों के अंतर्गत उपकर	0045	3.19
5.08.12.	वस्त्र और वस्त्र मशीनरी पर संग्रहित उपकर <i>निवल-अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर</i>	0038	2.31 <i>2025.39</i>
<i>निवल-केंद्रीय उत्पाद शुल्क</i>			<i>381756.06</i>	<i>406900.00</i>	<i>276995.00</i>
6. सेवा कर					
6.01.	संग्रहण	0044	234239.86	252900.00	72669.50
6.02.	शिक्षा उपकर	0044	75.16	...	25.00
6.03.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0044	40.33	...	12.50
6.04.	स्वच्छ भारत उपकर	0044	12474.87	13300.00	4100.00
6.05.	कृषि कल्याण उपकर	0044	7668.52	8800.00	2700.00
<i>जोड़-सेवा कर</i>			<i>254498.74</i>	<i>275000.00</i>	<i>79507.00</i>
7. वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क					
7.01.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	0040
7.02.	अन्य कर	0045	338.35
<i>जोड़-वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क</i>			<i>338.35</i>
8. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)					
8.01.	केन्द्रीय माल एवं सेवा कर	0005	221400.00
8.02.	समेकित माल एवं सेवा कर	0008	161900.00
8.03.	जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर	0009	61331.00
<i>जोड़-वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)</i>			<i>444631.00</i>
9. संघ राज्य क्षेत्रों के कर					
9.01.	भू राजस्व	0710	3.54	8.72	7.52
9.02.	स्टाम्प और पंजीकरण	0710	183.17	189.73	199.73
9.03.	राज्य उत्पाद शुल्क	0710	713.57	884.75	877.20
9.04.	बिक्री कर	0710	2865.16	3300.00	1945.00
9.05.	वाहनों पर कर	0710	209.78	213.30	226.00
9.06.	सामान और यात्रियों पर कर	0710	8.99	10.75	10.00
9.07.	विजली पर कर और शुल्क	0710	30.14	25.00	31.00
9.08.	अन्य कर और शुल्क	0710	131.18	47.21	23.70
9.09.	संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवाकर	0007	1424.00
<i>जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों के कर</i>			<i>4145.53</i>	<i>4679.46</i>	<i>4744.15</i>
जोड़-कर राजस्व			1715822.40	1911579.46	1946119.15
10. घटाइए-राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी					
10.01.	एनसीसीडी (सीमा शुल्क)	0037	-23.80	-2500.00	-660.00
10.02.	एनसीसीडी (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)	0038	-6426.20	-7500.00	-3000.00
<i>निवल-घटाइए-राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी</i>			<i>-6450.00</i>	<i>-10000.00</i>	<i>-3660.00</i>
11.	घटाइए-राज्यों का हिस्सा	0710	-608000.31	-674565.45	-673005.29
12.	घटाइए-वास्तविक आंकड़ों के अनुसार राज्यों के हिस्से का समायोजन	0710
कुल जोड़			1101372.09	1227014.01	1269453.86
					1480649.04

उपर्युक्त विवरण में मोटे तौर पर 2018-19 के लिए कर प्राप्ति के अनुमानों का सार है। इन अनुमानों में बजट प्रस्तावों का प्रभाव शामिल है। इसके अतिरिक्त खण्डों और लेखा शीर्षों के अनुसार ब्यौरे के साथ-साथ बजट और संशोधित अनुमान, 2017-18 के बीच अन्तर तथा बाद वाले और 2018-19 के बजट अनुमान के बीच अंतर

की व्याख्यात्मक संक्षिप्त टिप्पणियां नीचे दी गई हैं। संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 के अनुसार, जिसे 1.4.1996 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया, क्रमशः अनुच्छेद 268 और 269 में उल्लिखित शुल्कों और करों, अनुच्छेद 271 में उल्लिखित करों और शुल्कों पर अधिभार और संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अन्तर्गत विशेष उद्देश्य से लगाए गए किसी उपकरण को छोड़कर, संघीय सूची में उल्लिखित सभी कर भारत सरकार द्वारा लगाए और संगृहीत किए जाएंगे और केन्द्र और राज्यों के बीच इस प्रकार संवितरित किए जाएंगे जैसाकि वित्त आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। 2015-2020 तक की अवधि के लिए, केन्द्र और राज्यों के बीच संवितरण का तरीका चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद अपनाया गया है।

1. निगम कर : यह कर कम्पनियों की आय पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत लगाया जाता है। 2017-18 के लिए निगम कर का संशोधित अनुमान, 538744.73 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 563744.73 करोड़ रुपए है। 2018-19 का बजट अनुमान 621000.00 करोड़ रुपए है।

2. आय पर कर : यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत व्यक्तियों, फर्मों आदि कंपनियों को छोड़कर, पर लगाया जाता है। इस शीर्ष में अन्य कर, मुख्य रूप से प्रतिभूति संव्यवहार कर, जो स्टॉक एक्सचेंज पर की गई सूचीबद्ध प्रतिभूतियों और म्यूचुअल फंडों की यूनितों पर लगाया जाता है, भी शामिल है। वर्ष 2017-18 के लिए आय पर कर का अनुमान 441255.27 करोड़ रुपए के विपरीत 441255.27 करोड़ रुपये है। वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमान 529000.00 करोड़ रुपये है।

3. संपदा कर : धन कर अधिनियम, 1957 के तहत, यह कर व्यक्तियों और कम्पनियों सहित कतिपय व्यक्तियों की विनिर्दिष्ट परिसम्पतियों पर लगाया जाता है। वर्ष 2016-17 में संपदा कर का वास्तविक संग्रहण 185.14 करोड़ रुपए था। यह कर 2016-17 से समाप्त कर दिया गया है।

4. सीमाशुल्क : वर्ष 2017-18 में सीमाशुल्क के संशोधित अनुमान 245000 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 135242 करोड़ रुपए थे। 2018-19 के बजट अनुमान 112500 करोड़ रुपए हैं।

4.01.01. बुनियादी शुल्क : सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत आयातित सामान पर सीमाशुल्क पर बुनियादी शुल्क प्रभावी है।

4.01.02. सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी): सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत, सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क ऐसे घरेलू विनिर्मित माल पर उग्रहणीय उत्पाद शुल्क के समतुल्य होता है। इस शुल्क को 1 जुलाई 2017 से जीएसटी के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है (पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर जो जीएसटी से बाहर हैं)।

4.01.03. विशेष सीवी शुल्क : सभी आयातित माल पर बिक्री कर, वैट, स्थानीय कर या अन्यथा को प्रतिसंतुलित करने के लिए विशेष सीवी शुल्क कुछ अपवादों के साथ 4 प्रतिशत की दर से उग्रहणीय है। इस शुल्क को 1 जुलाई 2017 से जीएसटी के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है (पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर जो जीएसटी से बाहर हैं)।

4.01.04. मोटर स्पिरिट पर सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क : मोटर स्पिरिट पर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम (सं. 2), 1998 द्वारा उग्रहणीय होता है। केंद्रीय बजट 2018-19 में इस शुल्क को सड़क तथा अवसंरचना शुल्क से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

4.01.05. हाई स्पीड डीजल ऑयल पर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क : हाई स्पीड डीजल ऑयल पर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा उदग्रहणीय होता है। इसे सामान्यतः सड़क उपकरण के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय बजट 2018-19 में इस शुल्क को सड़क तथा अवसंरचना शुल्क से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

4.01.06. मोटर स्पिरिट पर सीमाशुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क : मोटर स्पिरिट पर सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा उदग्रहणीय होता है। इसे सामान्यतः अधिभार के रूप में जाना जाता है।

4.01.07. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क : वित्त अधिनियम, 2001 के तहत राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क कुछ निर्दिष्ट तंबाकू उत्पादों पर और वित्त अधिनियम 2003 द्वारा कच्चे पेट्रोलियम पर लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क 1 जुलाई 2017 से जीएसटी में शामिल कर लिया गया है।

4.01.08. शिक्षा उपकरण : कुल सीमा शुल्क पर 2 प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकरण उग्रहणीय है (सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख और 8ग धारा 9 के तहत सीवीडी और धारा 9क के तहत डमिंग-रोधी शुल्क के तहत संरक्षण शुल्क को छोड़कर)। अंतरराष्ट्रीय वचनबद्धताओं के तहत आबद्ध दरों पर सीमा शुल्क लगाई जाने वाली वस्तुओं को इस उपकरण से मुक्त रखा गया है।

4.01.09. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकरण : कुल सीमा शुल्कों पर 1 प्रतिशत की दर से माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकरण उग्रहणीय है।

4.02. निर्यात शुल्क: कुछ विनिर्दिष्ट मर्दों जैसे लोहा और क्रोमियम के अयस्कों और सान्द्रणों आदि के निर्यात पर शुल्क लगाया जाता है।

बकाया संग्रहण : वर्ष 2016-17 में सीमाशुल्क के बकाया का वास्तविक संग्रहण 1284 करोड़ रुपए था। सं.अ. 2017-18 और ब.अ. 2018-19 में सीमाशुल्क के बकाया का संग्रहण क्रमशः 1000 करोड़ रुपए और 1500 करोड़ रुपए है।

5. केंद्रीय उत्पाद शुल्क : वर्ष 2017-18 के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संशोधित अनुमान 406900 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 276996 करोड़ रुपए है। वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमान 259600 करोड़ रुपए है।

5.01. बुनियादी और विशेष उत्पाद शुल्क मोटर स्पिंट और हाई स्पीड डीजल तेल पर उपकर को छोड़कर: केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम के तहत बुनियादी उत्पाद शुल्क और विशेष उत्पाद शुल्क केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 में विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है। औसत सेनवेट दर को 27.02.2010 से 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तथा 17.03.2012 से 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर को 01.03.2015 से केंद्रीय उत्पाद शुल्क में सम्मिलित किया गया है तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क की मानक सैनवेट दर को उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर 12.5 प्रतिशत पर तर्कसंगत किया गया था। इस शुल्क की 1 जुलाई 2017 से जीएसटी के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। (पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर जो जीएसटी से बाहर हैं)।

5.02. मोटर स्पिंट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क : मोटर स्पिरिट पर उत्पाद का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम (सं. 2) 1998 द्वारा लगाया जाता है। केंद्रीय बजट 2018-19 में इसे सड़क तथा अवसंरचना उपकर से प्रतिस्थापित किया गया है।

5.03. हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क: हाई स्पीड डीजल ऑयल पर उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम, 1999 के तहत लगाया जाता है। केंद्रीय बजट 2018-19 में इसे सड़क तथा अवसंरचना उपकर से प्रतिस्थापित किया गया है।

5.04. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क: वित्त अधिनियम, 2001 के तहत राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क कुछ निर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर और वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा कच्चे पेट्रोलियम पर लगाया जाता है अन्य मदों पर एनसीसीडी को 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया है। केंद्रीय बजट 2018-19 में इसे अवसंरचना उपकर से प्रतिस्थापित किया गया है।

5.05. मोटर स्पिंट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क: यह वित्त अधिनियम, 2002 के तहत लगाया है। इसे सामान्यतः अधिभार के रूप में जाना जाता है।

5.06. पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों पर अधिभार: सिगरेट, पान मसाला, तथा कतिपय विनिर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर बजट 2005-06 में विनिर्दिष्ट दरों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया था। वीडो पर यह नहीं लगाया जाता है। इसे 1 जुलाई, 2017 से माल एवं सेवा कर में शामिल कर लिया गया है।

5.07.08. स्वच्छ पर्यावरण उप कर (पूर्ववर्ती – स्वच्छ ऊर्जा उपकर) : इसे वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 83 के तहत भारत में उत्पादित कच्चा कोयला, लिग्नाइट और पीट पर लगाया गया था। यह उपकर 1.7.2010 से प्रवृत्त हुआ है और इसे उत्पाद शुल्क के रूप में संग्रहित किया जाता है। इसे 1 जुलाई, 2017 से माल एवं सेवा कर में शामिल कर लिया गया है।

बकाया संग्रहण : 2016-17 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बकायों का वास्तविक संग्रहण 2079 करोड़ रुपए रहा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बकायों संग्रहण के लिए संशोधित अनुमान 2017-18 और बजट अनुमान 2018-19 में क्रमशः 2500 करोड़ रुपए और 2500 करोड़ रुपए का है।

6. सेवा कर : 2017-18 के लिए सेवा कर का संशोधित अनुमान 79507 करोड़ रुपए है जबकि बजट अनुमान 275000 करोड़ रुपए है। सेवा कर को 1 जुलाई, 2017 से माल एवं सेवा कर में शामिल कर लिया गया है।

8. माल और सेवा कर : माल और सेवा कर 1 जुलाई, 2017 से लागू हुआ माल एवं सेवा कर माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति पर कर है, मानव उपभोग के लिए शराब की आपूर्ति को इससे बाहर रखा गया है।

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए केन्द्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और समेकित सीएसटी (आईजीएमटी) क्रमशः 221400 करोड़ रुपए और 161900 करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सीजीएसटी के लिए बजट अनुमान और आईजीएमटी क्रमशः 603900 करोड़ रुपए और 50000 करोड़ रुपए है। क्रेडिट के पारस्परिक उपयोग के फलस्वरूप आईजीएसटी राजस्व केन्द्र और राज्यों के बीच समविभाजन और निधि निपटान के अध्यक्षीन है।